भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3205
उत्तर दिनांक 21/08/2025 को दिया गया

परमाणु सुरक्षा के लिए नया कानून बनाना

3205. डा. अजित माधवराव गोपछड़े

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या सरकार, यह देखते हुए कि परमाणु ऊर्जा देश के ऊर्जा संसाधनों का एक प्रमुख घटक है, परमाणु सुरक्षा पर मौजूदा कानून में संशोधन करने या नया कानून बनाने पर विचार कर रही हैं;

(ख) क्या सरकार कई विकसित देशों में प्रभावी रूप से कार्यशील परमाणु सुरक्षा प्राधिकरणों के समान एक परमाणु सुरक्षा प्राधिकरण स्थापित करने की योजना बना रही है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने हमारे परमाणु सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने हेतु सर्वोत्तम बिंदुओं की पहचान करने के लिए परमाणु सुरक्षा से संबंधित नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय परिपाटियों और कानूनों की जांच की है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) , (ख) व (ग) बजट 2025 में, सरकार ने विकसित भारत के लिए नाभिकीय ऊर्जा मिशन की घोषणा की है, जिसके तहत वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट नाभिकीय ऊर्जा का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 तथा नाभिकीय क्षति के लिए असैन्य दायित्व (सीएलएनडी) अधिनियम, 2010 में संशोधन करके निजी क्षेत्र की भागीदारी को अनुमति दी गई है।

भारत में नाभिकीय विद्युत संयंत्रों में नाभिकीय संरक्षा के कार्यान्वयन के लिए एक सुदृढ़ तंत्र मौजूद है। वर्तमान में, भारत में असैन्य नाभिकीय सुविधाओं की संरक्षा सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी पूरी तरह से परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी) की है। एईआरबी, सरकार द्वारा इन सुविधाओं के प्रचालन को विनियमित और निगरानी करने के लिए अधिकृत संस्था है। विनियमन को सुव्यस्थित करने और एकरूप मानकों को आगे बढ़ावा देने के लिए, एईआरबी ने संरक्षा संहिताओं, मार्गदर्शिकाओं और मानकों का एक व्यापक ढ़ाचा तैयार किया है, जिनका अनुपालन सभी प्रचालकों के लिए आवश्यक है। इन नाभिकीय प्रतिष्ठानों को वैध रूप से प्रचालित करने के लिए आवश्यक प्रचालन अनुज्ञापत्र (लाइसेंस) एईआरबी से प्राप्त करने होते हैं। ये लाइसेंस निर्धारित

संरक्षा मानकों के सख्त अनुपालन पर आधारित होते हैं। एईआरबी के निरीक्षक अनुपालन की पुष्टि के लिए लाइसेंस प्राप्त प्रतिष्ठानों का नियमित निरीक्षण करने के लिए अधिकृत हैं। यदि निरीक्षण में कमी पाई जाती है तो एईआरबी सुधारात्मक सिफारिशें और तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करता है। अनुपालन न करने की अत्यधिक गंभीर स्थितियों में, एईआरबी के पास प्रचालन लाइसेंस को निलंबित या रद्द करने का भी अधिकार है।

विभाग ने निजी क्षेत्र द्वारा नाभिकीय विद्युत संयंत्रों के निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन, नाभिकीय संरक्षा, सुरक्षा, संरक्षोपाय, ईंधन प्रापण/विनिर्माण, अपशिष्ट प्रबंधन और विकमीशनन जैसे विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए एक कार्यदल का गठन किया है।

*****